

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें राज0 जयपुर
क्रमांक:- ई-33/लै.टे./ (एफ-1513)/2019/ दिनांक :

आदेश

श्री शिवगणेश शर्मा, लैब टेक्नीशियन (प्रोबेशनरी ट्रेनी), प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, धौलपुर को उनकी स्वयं की प्रार्थना पर वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ.1(एफडी)रूल्स/2006 पार्ट-1 दिनांक 07.08.2014 में उल्लेखित प्रावधानों के तहत दिनांक 20.06.2018 से 30.09.2018 तक कुल 103 दिवस का असाधारण अवकाश एतद् द्वारा स्वीकृत किया जाता है।

वित्त विभाग के उक्त परिपत्र के अनुसरण में 30 दिवस से अधिक अवधि के उपरान्त उपभोग किये गये असाधारण अवकाश की सीमा तक परीविक्षा काल में अभिवृद्धि की जावेगी।

उक्त आदेश प्रशासनिक विभाग की आई.डी. क्रमांक 1361 दिनांक 26.07.2019 के अनुसरण में जारी किया जा रहा है।

50
(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:- ई-33/लै.टे./ (एफ-1513)/2019/ 475 दिनांक : 05/08/2019
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज., जयपुर को उनकी आई.डी. क्रमांक 4822 दिनांक 26.07.2019 के संदर्भ में।
2. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, धौलपुर।
3. प्रभारी, सर्वर रूम, क.नं. 302, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने का श्रम करें।
4. श्री शिवगणेश शर्मा, लैब टेक्नीशियन (प्रोबेशनरी ट्रेनी) को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
5. आदेश/रक्षित पत्रावली।

72
अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर